

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(1) राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 7-9-2022

::आदेश::

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को देय मासिक रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस/ड्राफ्टिंग एवं सेटलिंग चार्ज की दर में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

(राशि रुपये)

S.no	Name of post	Retainership per month		Per day appearance fees		Drafting & settling Charges (per case)	
		Present rate as per order dtd. 14.06.2021	Revised Rate Agreed by FD	Present rate as per order dtd. 14.06.2021	Revised Rate Agreed by FD	Present rate as per order dtd. 04.09.2012	Revised Rate Agreed by FD
1	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	20,160	24,200	600	750	1000	1200
2	विशिष्ट लोक अभियोजक	20,160	24,200	600	750	1000	1200
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	17,640	21,200	600	750	1000	1200

- इन विधि अधिकारियों को देय Retainership की दर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- इन विधि अधिकारियों को Retainership, per day Appearance and Drafting & Settling Charges के उपयुक्त दरों के संशोधन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश क्रमांक प.15(12)राज/वाद/2006 दिनांक 26.10.2010 एवं इसके पश्चात इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार यथावत प्रभावी माने जायेंगे।
- Retainership, per day Appearance and Drafting & Settling Charges में संशोधित दरें आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।  
उक्त आदेश वित्त (व्यय-5) विभाग की आई0डी0 संख्या 102204837 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

30  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5)विभाग।
- समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजस्थान।
- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण